RNI No.: RAJBIL/2013/54153
U.G.C. Approved No. 64524

ISSN : 2322-0074

अलख दृष्टि

ALAKH DRISHTI

(भाषा, दर्शन, साहित्य, संस्कृति एवं मानविकी की संवाहिका त्रैमासिक शोध पत्रिका)

वर्ष-5 • अंक-04 • त्रैमासिक • अक्टूबर-दिसम्बर, 2017

A Peer Reviewed Research Quarterly

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	लेखक	पृष्ठ सं.
01.	विश्वसुन्दरी विश्वेश्वरी अन्नपूर्णा	प्रो. हरिशंकर पाण्डेय	06-10
02.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) का महिलाओं पर प्रभाव (अलवर-राजस्थान का एक अध्ययन)	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	11-15
03.	जैन धर्म में अनेकान्तवाद	मेवालाल चैतन्य	16-25
04.	आचार्य बच्चूलाल अवस्थी की 'प्रतानिनी' का स्थालीपुलाक पाकपरिशीलन	डॉ सत्यप्रकाश दुबे	26-33
05.	सम्राट अशोक का मूल्यांकन (पुरातात्त्विक आधार पर)	डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा	34-38
06.	तुलसी के रामचरितमानस में नारी-चिंतन	शर्मिला सोनी	39-43
07.	**Revisiting Gandhi**	**Dr Anil Dutta Mishra**	44-51
08.	**Learning and Teaching of English in Nagaur District: Problems and Solutions**	**Tripti Tripathi Dubey**	52-57
	पुस्तक समीक्षा	डॉ पुष्पा मिश्रा	58

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) का महिलाओं पर प्रभाव (अलवर-राजस्थान का एक अध्ययन)

डॉ. बिजेन्द्र प्रधान

सारांश

हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या एवं चुनौती गरीबी है। गरीबी को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेगें। हमारे देश की एक बड़ी आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही हैं, उनको गरीबी रेखा से उपर उठाना एक बड़ी चुनौती है।

आज वर्तमान समय में हमारे देश में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक योजनाएं और परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं में से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को महिला समूहों के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करना और विभिन्न अनेक गतिविधियों के माध्यम से उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को विकसित करना है। जिससे वे सशक्त एवं इससे उपर उठ सकें। इसके लिए इस योजना के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। इस योजना को लागू हुए 12 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इसलिए इस योजना के प्रभाव को जानने के लिए जिला अलवर राजस्थान में एक लघु शोध करने का निर्णय किया गया। क्योंकि भारतीय जनसंख्या में निर्धनता का जो प्रतिशत 1973-74 में 56.44 था वह घटकर 1993-94 में 37.27 और 1999-2000 में 27.1 रह गया। किन्तु ग्रामीण निर्धनों की संख्या कमोबेश यथावत रही। अनुमान है कि ग्रामीण निर्धनों की संख्या लगभग 244 मिलियन है।

इस योजना में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होने के कारण स्वयं सहायता से जुड़े सदस्यों में महिलाओं की संख्या अत्यधिक है। शोधार्थी द्वारा शोध हेतु चयनित उत्तरदाताओं में 97.8 प्रतिशत महिलाएँ और 2.2 प्रतिशत पुरूष थे। अध्ययन में मुख्य रूप से पाया गया कि महिलाओं में समूह सम्बन्धित जानकारी एवं शिक्षा की कमी थी। इस

योजना की जानकारी, अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं इससे जुड़ी सरकारी सूचना व जानकारी का अभाव था। इस योजना के द्वारा संचालित समूहों का निर्माण एवं उनका सशक्तिकरण कार्यक्रम सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा समूहों को बहुत कम समय दिया जाता है। समूहों द्वारा सामाजिक गतिविधियों में रूचि कम ली जाती है। समूहों में बहुत कम लोगों का प्रशिक्षण हुआ है। इस प्रकार अध्ययन से पता चलता है कि कार्यक्रम का जिस स्तर पर प्रभाव पड़ना चाहिए उतना नहीं हुआ है।

परिचय

पिछले कुछ दशकों में किये गये प्रयासों के बावजूद भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक निर्धनता है। उत्तरवर्ती वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को सशक्त किया गया और भारतीय जनसंख्या में निर्धनता का प्रतिशत घटकर वर्ष 1999-2000 में 27.1 प्रतिशत रह गया। किन्तु ग्रामीण / निर्धनों की जनसंख्या कमोवेश यथावत थी। इस परिप्रेक्ष्य में स्व-रोजगार कार्यक्रमों का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ये कार्यक्रम ही ग्रामीण निर्धनों को आय का टिकाऊ आधार प्रदान कर सकते हैं।

प्रारम्भ में एकत्रित ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्वरोजगार सम्बन्धी एक मात्र कार्यक्रम था। बाद के वर्षो में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) सहित कई अन्य सम्बद्ध कार्यक्रम शुरू किये गये जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, सिट्रा, गंगा कल्याण योजना, स्वयंसिद्धा, महिला सशक्तिकरण, ड्वाकरा इत्यादि। ये सभी कार्यक्रमों को अलग-अलग रूप में देखा जाता था जिसके कारण समुचित सामाजिक मध्यस्थता नहीं हो पाया था। इसमें आपस में कोई समन्वय नहीं था। इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने कार्यक्रमों के पुनर्गठन का फैसला किया। अप्रैल 1999 में "स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एस. जी. एस. वाई.)" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। यह एक ऐसा व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं का समावेश है, जैसे निर्धनों का स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, आधारित संरचना व विपणन। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का वित्तपोषण केन्द्र और राज्य 75 : 25 अनुपात में करेगें।

एस.जी.एस.वाई. योजना का लक्ष्य

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का लक्ष्य है-सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों (स्व-रोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए यह सुनिश्चित करना कि लम्बे समय तक उनके आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती रहें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक गतिशीलता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा बैंक ऋण व सरकारी सब्सिडी के जरिए आय-सर्जक परिसम्पतियों का प्रावधान कर ग्रामीण निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना।

स्वरोजगारी

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्र्तगत लाभार्थियों को "स्वरोजगारी" कहा जाता है। स्वरोजगारी व्यक्ति भी हो सकता है और समूह भी। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में समूह दृष्टिकोण पर बल दिया गया है, जिसके तहत ग्रामीण निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित किया जाता है।

स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह ऐसे ग्रामीण निर्धनों का समूह है, जिन्होंने समूह सदस्यों की निर्धनता के उन्मूलन हेतु स्वयं को स्वैच्छिक रूप से संगठित किया है। वे नियमित रूप से बचत करने पर सहमत होते हैं और उसे एक सामान्य निधि में परिवर्तित करते हैं, जिसे 'समूह निधि' के रूप में जाना जाता है। समूह के सदस्य इस सामान्य निधि और ऐसी अन्य निधियों के इस्तेमाल पर सहमत होते हैं, जिसे वे सामान्य प्रबन्ध के जरिये समूह के रूप में प्राप्त करते हैं। समूह के दिशा निर्देश भी होते हैं जिन्हें वे संचालन के समय उपयोग करते हैं।

गैर सरकारी संगठन की भूमिका

गैर सरकारी संगठन और समुदाय आधारित संगठन, न केवल सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं बल्कि

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उपयोग में लाये जा रहे सुविधाप्रदाताओं के शिक्षण और क्षमता निर्माण में भी सहायक होते हैं। अभिकरण ऐसे संस्थाओं को सहायता दे सकती है जो पूरी तरह समूह विकास प्रक्रिया शुरू करने और उसे बनाये रखने के काम में ही संलग्न है और जिन्होंने निर्धनों की सामाजिक गतिशीलता, समूह निर्माण तथा विकास सम्बन्धी उत्तरदायित्व ले सकें। स्वसहायता सम्बर्धन संस्थान सुविधा प्रदाता के रूप में बैंको की संलग्नता से समूहों के लिए ऋण लिकेंज में सहायता होगी जो स्व-सहायता समूहों को संगठित करने का एक मुख्य लक्ष्य है और आर्थिक सशक्तिकरण तथा समूहों के टिकाउपन के लिए अहम है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

थानागाजी तहसील अलवर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं एवं जयपुर से इसकी दूरी 76 किलोमीटर है। इस तहसील की कुल जनसंख्या 1,89,977 है जिसमें पुरूषों की संख्या 99,870 एवं महिलाओं की जनसंख्या 90,107 है। क्षेत्र की कुल साक्षरता दर 63.84 प्रतिशत है। यहाँ के लागों की आय का मुख्य साधन कृषि और पशुपालन है। इस क्षेत्र में यातायात की व्यापक सुविधाएँ उपलब्ध है। इस क्षेत्र से राष्ट्रीय हाईवे संख्या-8 गुजरता है जहाँ से सभी बड़े महानगरों के लिए यातायात सुविधा सुलभ है। इस क्षेत्र में कई महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संचालित है। इन ग्रामों में कई मुख्य बैंक जैसे स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया, स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एवं जयपुर, पंजाब नेशनल बैंक, सेण्ट्रल बैंक आफॅ इण्डिया इत्यादि स्थित हैं।

अध्ययन की इकाइयाँ

शोध हेतु अध्ययन के रूप में राजस्थान के अलवर जिलें के थानागाजी तहसील के 8 ग्रामों (प्रेमपुरा, गढ़बसई, विजयपुरा, अजबपुरा, कोलाहेड़ा, ढ़ारकड़ीकेलाए, श्यामपुरा, जागीर, मुंदावरा) का दैवनिदर्शन (उद्धेश्य पूर्ण) सैम्पलिंग विधि द्वारा चयन किया गया हैं।

थानागाजी तहसील में कुल 6822 बी.पी.एल. परिवार है। अध्ययन क्षेत्र में कुल 645 बी. पी. एल. परिवार है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अर्न्तगत संचालित स्व-सहायता समूहों से जुड़े हुए 45 सदस्यों एवं पदाधिकारियों का चयन 15 समूहों में से दैव-निदर्शन (उद्देश्यपूर्ण) सैम्पलिंग विधि से किया गया जो कि कुल इस क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवार का लगभग 70 प्रतिशत है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना से जुड़े व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर में परिवर्तन का स्तर जानना।
2. स्वयं सहायता समूह के गठन एवं सशक्तिकरण स्तर को जानना।
3. शहरों की तरफ पलायन की वर्तमान वास्तविक स्थिति को जानना।
4. इस योजना से जुड़े समूहों एवं सदस्यों की आय वृद्धि गतिविधि के स्तर को जानना।
5. इस योजना से जुड़े समूहों एवं सदस्यों की आय वृद्धि गतिविधि को जानना।

तथ्य संकलन के उपकरण

1. साक्षरता अनुसूची- इसमें मल्टीपल च्वाइस, ओपेन एन्डेड और क्लोज एन्डेड तीनों प्रकार प्रश्न शामिल किये गयें।
2. बैंक एवं समूह के साथ चर्चा के लिए चेक-लिस्ट।
3. अवलोकन चेक-लिस्ट।

इन तीनों उपकरणें का तथ्य संकलन के उपयोग में लाने से पूर्व परीक्षण किया गया।

अध्ययन का परिणाम

उत्तरदाताओं में से अधिकांश (71 प्रतिशत) उत्तरदाता 26-40 वर्ष के आयुवर्ग के हैं जबकि 25 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक उत्तरदाता क्रमशः 6.6 और 2.2 प्रतिशत हैं। शिक्षा के संदर्भ में लगभग आधा उत्तरदाता अशिक्षित पाये गये। केवल 4.4 उत्तरदाता माध्यमिक या इससे ज्यादा स्तर तक शिक्षित थे।

जाति के आधार 44.5 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ा वर्ग एवं 22.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति के थे। सामान्य

वर्ग की बी. पी. एल. परिवार 24.4 प्रतिशत थे। (विस्तृत तालिका-1 में देखों)

तालिका -1

जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्रमांक	जाति	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	11	24.4
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	20	44.5
3.	अनुसूचित जाति	10	22.2
4.	अनुसूचित जनजाति	04	8.9
	कुल	**45**	**100%**

व्यवसाय के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक चयनित उत्तरदाता गृहणी थीं जबकि 43 प्रतिशत कृषि और मजदूरी व्यवसाय में संलग्न थीं। चयनित उत्तरदाताओं में 75.6 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं सहायता समूह के किसी न किसी पद पर आसीन है और 24.4 प्रतिशत समूह के सदस्य हैं (विस्तृत पाई चार्ट-1 देखें)

पाई चार्ट -1

पद के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

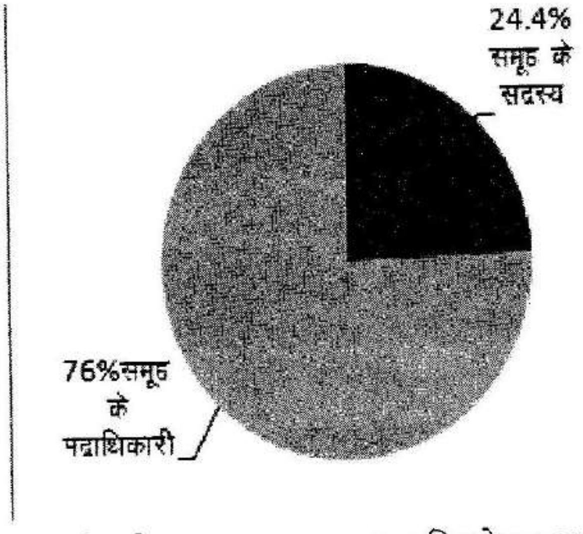

ग्रेड के आधार पर पाया गया कि केवल 20 प्रतिशत समूह ‘।’ ग्रेड में है जबकि 66.8 प्रतिशत समूह ‘ठ’ ग्रेड में हैं वहीं ग्रेड ‘ढ’ में 13.2 प्रतिशत समूह था। (विस्तृत पाई चार्ट-2 में देखें।)

पाई चार्ट - 2

ग्रेडिंग के अनुसार समूहों का प्रतिशत

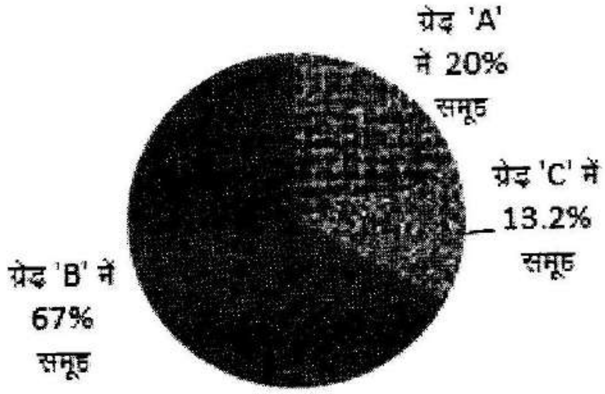

सभी समूहों का बैंक से नेटवर्किंग है और विश्लेषण से पाया गया कि ऋण प्राप्ति केवल 33.3 प्रतिशत समूह ही बैंक से कर सकता है। प्राप्त राशि का समूह के सदस्यों ने स्वरोजगार के उपयोग में लिया है जो आर्थिक विकास में मदद कर रहा हैं। इसके अतिरिक्त समूहों से ऋण कुल 33 सदस्यों (73.3 प्रतिशत) ने लिया है उसमें से 5001 से 10000 तक राशि लेने वाले सदस्य 23 (69.7 प्रतिशत) हैं। जिनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हैं। (विस्तृत पाई चार्ट-3 देखें)

पाई चार्ट-3

स्वयं सहायता समूह से ऋण प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या एवं राशि

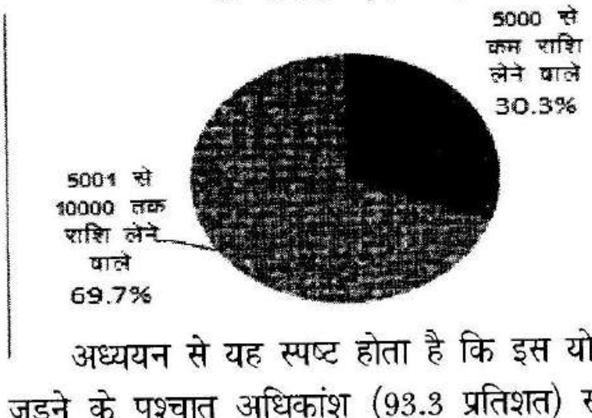

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इस योजना से जुड़ने के पश्चात अधिकांश (93.3 प्रतिशत) समूह के सदस्यों ने डेयरी उद्योग (पशुपालन) कार्य शुरू किया है जबकि 6.7 प्रतिशत ने गलीचा निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। इससे उनके मासिक आय में वृद्धि हुआ हैं। 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार 600-800 रू. तक

और 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं 600 रू. से कम आय में वृद्धि हुआ है जबकि 800 रू. से अधिक आय वृद्धि करने वाले 11.2 प्रतिशत उत्तरदाता थें। इससे इनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई साथ ही मासिक बचत में भी वृद्धि हुई है। 97. 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं का समूह से जुड़ने के पहले 100 रू. तक मासिक बचत था जो बढ़कर 300 रू. तक हो गया हैं। इस प्रकार सभी उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि समूह से जुड़ने के पश्चात मासिक आय में वृद्धि हुई हैं।

अध्ययन से प्राप्त होता है कि समूह से जुड़ने के पश्चात सभी उत्तरदाताओं के बच्चों की शिक्षा, आय, भोजन इत्यादि में अपेक्षाकृत वृद्धि एवं सुधार हुआ है। इसके साथ ही जीवन कौशल में वृद्धि एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुआ है।

इस योजना से जुड़ने के पश्चात यह पाया गया कि लगभग सभी समूह एवं समूह के सदस्यों ने अपने क्षेत्र में बाल-विवाह, घरेलु हिंसा को रोकने एवं महिलाओं को शिक्षा मिले जैसे मुददों के लिए कार्य और प्रयास किया है। इससे समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। (विस्तृत सारणी-2 देखें)

सारणी-2

समूह द्वारा किये गये सामाजिक कार्यो का विवरण

क्रमांक	संचालित गतिविधिया	समूहों की संख्या	प्रतिशत
1.	बाल विवाह रुकवाना	09	60.0
2.	महिला शिक्षा	05	33.3
3.	घरेलु हिंसा रुकवाना	01	06.7
	कुल	**15**	**100**

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का गरीब परिवारों पर आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वे समूह में संगठित होकर स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम हुए हैं और उनके दक्षता एवं कुशलता में वृद्धि हुआ है।

सुझाव

1. जो समूह अपने स्तर से व्यवसाय करके आगे बढ़ते है उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए जिससे उनका मनोबल ऊँचा उठ सकें।
2. समूह को अल्प बचत के लिए और जागरूक करने की जरूरत है व बैंकों द्वारा इनको वित्तीय मदद की जानी चाहिए।
3. समूहों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं मार्केटिंग के क्षेत्र में मदद की जानी चाहिए।
4. समूह के सदस्यों को पंचायत स्तर के विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी कार्यक्रम में भागीदारी का मौका देना चाहिए। जिससे वे और सशक्त हो सकें।
5. सामाजिक गतिविधियों में समूह को सहयोग देना चाहिए जिससे वे सामाजिक मुद्दों का समाधान करने में सक्षम हो सके।
6. अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से भी इन्हें मदद दिलवानी चाहिए जिससे आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हो सके और अपने जीवन स्तर में अत्यधिक सुधार कर सकें।

संदर्भ सूची

1. सेन, अभिजित, गरीबी-महंगाई बड़ी चुनौतियाँ राजस्थान पत्रिका, सीकर, 20 नवम्बर, 2011।
2. तिवारी, संजय, शैलप्रभा, ग्रामीण विकास-सरकार की विविध योजनाएँ ओमेगा पब्लिकेशनस, दिल्ली, 2009।
3. दिशा-निर्देश, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में चयनित मुख्य गतिविधियों की परियोजनाएँ एवं इकाई लागत, जिला परिषद, अलवर (राजस्थान)।
5. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना ''समूह गठन सम्बर्धन एवं सशक्तिकरण'' के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तरी, जिला परिषद, अलवर (राजस्थान)।
6. Srinivash, N, Mieko Finance India state of the sector report, sage publication India pul. Ltd. New delhi.
7. Planing commission pov. In report scr study sgsy of smp. Pdf.
8. Sambalpur. Nic. In drda. Htm.
9. Ribmindia. Arg padis srp&report. Pdf.

एसोसिएट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग
जैन विश्वभारती संस्थान (मान्य विश्वविद्यालय)
लाडनूं - 341306 (नागौर) राज.